प्ररूप
नियम 4(1)देखिये
अनुज्ञा और आवंटन के लिये आवेदन

फोटो

प्रेषिती,
प्राधिकृत अधिकारी
भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण
बीडा, भिवाडी अलवर राज0

विषयः– कृषिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन के लिये आवेदन

श्रीमान,

मैं/हम, गैर–कृषिक प्रयोजनों के लिये कृषि भमि के उपयोग की अनुज्ञा के लिए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन इसके द्वारा आवेदन करता हूँ/ करते है जिसकी विशिष्टियां निम्नानुसार हैः–

1	आवेदक का ब्यौरेः (क) नाम (ख) पिता/पति का नाम (ग) पूरा पता	
2	क्षेत्र का ब्यौरा जिसके लिये आवेदन किया गयाः (क) ग्राम और तहसील का नाम (ख) खसरा नम्बर और क्षेत्र	
3	आवेदन के साथ संलग्नकः	
	क – सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत / स्टाम्पित मुख्तयारनामे की प्रमाणित प्रति, यदि आवेदन अन्य व्यक्तियों की और से फाईल किया जाता है।	
	ख – रजिस्ट्रकरण की प्रमाणित प्रति (फर्म /संस्था /कम्पनी के आवेदक होने की दशा में)	
	ग – संगम ज्ञापन / संगम अनुच्छेद और प्राधिकृत निदेशक के पक्ष में बोर्ड के निदेशको के संकल्प की प्रमाणित प्रति (कम्पनी के आवेदन होने की दशा में)	
	घ – राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी अधिनियम 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	
	ड – जहॉ कही अपेक्षित हो, भू–उपयोग में परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति।	

	च – स्वामित्व के समर्थन में दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति जैसे विक्रय विलेख इत्यादि और आवेदित भूमि के ब्यौरे।	
	छ – प्रारूप 2 में नोटेरी पब्लिक द्वारा समरूक रूप से प्रमाणित शपथ पत्र	
	ज – प्रारूप 3 में नोटेरी पब्लिक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधक पत्र	
	झ – जमाबन्दी की नवीनतम प्रति (पटवारी द्वारा प्रमाणित)	
	ञ – अभिन्यास योजना और मास्टर योजना, सैक्टर योजना (यदि कोई हो) पर खसरा अध्यारोपण	
	ट – खसरा मानचित्र का अनुरेख	
	ठ – अभिन्यास योजना (एकल पट्टे की दशा में स्थल योजना)	
	ड – की प्लान	
	ढ – सर्वेक्षण नक्शा	
	ण – प्ररूप 4 में क्षेत्र संगणना के ब्यौरे	
	त – खातेदार /आवेदक की पहचान का सबूत	
4	प्रयोजन जिसके लिये भूमि का उपयोग किया जावेगा।	
5	क्या भूखण्ड सीमा में एच.टी / एल.टी लाईन /ट्रांसफार्मर है?	
6	क्या आवेदित भूमि अर्जन के अधीन है?	
7	क्या आवेदित भूमि के संबंध में नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 के अधीन कार्यवाहियॉ लम्बित है?	
8	क्या भूमि अधिशेष घोषित की गई है या जिसके लिये राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 या राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 के निरसित अध्याय ।।। ख के अधीन कार्यवाही लम्बित है?	
9	क्या भूमि देवता, देवस्थान विभाग, कोई लोक न्यास या किसी धार्मिक या पूर्त संस्था या किसी वक्फ से संबंधित है?	
10	रेल्वे लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य राजमार्ग और अन्य किसी सडक से दूरी।	
11	(क) – लम्बित न्यायालय मामले (यदि कोई हो)	
	(ख) – किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित रोक आदेश या व्यादेश के ब्यौरे।	
12	आवेदित भूमि की पहुंच सडक की चौडाई।	
13	मास्टर योजना /सैक्टर योजना / सडक क्षेत्र नेटवर्क योजना के अधीन आने वाली भूमि का क्षेत्र, जो निःशुल्क अभयर्पित किया जाना है।	

14	प्ररूप 4 के अनुसार – शुद्ध क्षेत्र जिसकी लिये अभिन्यास योजना जारी की जानी है।	
15	संदेय प्रीमियम प्रभारो की दर	
16	चालान की संख्या और तारीख और नियम 4 के उप नियम 3 के अधीन सदांय करने के लिये रकम (चालान की प्रति संलग्न की जावे)	
17	कोई अन्य सुसंगत सूचना	
18	दस्तावेजो की कुल संख्या	
19	पृष्ठो की कुल संख्या	
20	मद संख्या 3 और 16 में वर्णित संलग्नको के साथ आवेदन की साफ्ट कापी	
21	आवेदन की तारीख	

आवेदक का पताः

आवेदक के हस्ताक्षर

(पूरा पता)

सम्पर्क संख्याक और ई–मेल पता
मौ0 नं0
ऑफिस नं0